विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-36, 37/14</u>

(1) दि जनरल मैनेजर, — आवेदक
आर्डनेन्स फैक्ट्री,
टाउनशिप सेकंड पाइन्ट,
पोस्ट – इटारसी (म.प्र.)
पिन कोड – 461111

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री, — अनावेदक
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
होशंगाबाद (म.प्र.) – 461001

<u>प्रकरण क्रमांक L00-37/2014</u>

(2) दि जनरल मैनेजर, — आवेदक
आर्डनेन्स फैक्ट्री,
टाउनशिप सेकंड पाइन्ट,
पोस्ट – इटारसी (म.प्र.)
पिन कोड – 461111

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री, — अनावेदक
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
होशंगाबाद (म.प्र.) – 461001

आदेश
(दिनांक 23.03.2015 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष विद्युत उपभोक्ता/आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 594049 तथा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 573016 के संबंध में इस आशय की शिकायत की थी कि उसने टाऊनशिप के लिए विद्युत कनेक्शन लिया था, जिस पर डिमाण्ड बेस्ड टैरिफ अर्थात् टैरिफ अनुसूची एच.वी. – 6 थोक आवासीय प्रयोक्ता का टैरिफ लागू होता था । उक्त दोनों कनेक्शनों के लिए कुल खपत का 80 प्रतिशत उपयोग घरेलू उपयोग के लिए स्वीकृत था तथा 20 प्रतिशत उपयोग गैर घरेलू

के लिए स्वीकृत था । अनावेदक द्वारा दिनांक 30.06.2014 को उसके परिसर का निरीक्षण किए जाने पर यह निष्कर्ष दिया था कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किया जा रहा है इस कारण भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्यवाही संस्थित की गई थी । उक्त कार्यवाही के विरोध में उसने भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 127 के प्रावधानों के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर रखी है जो सुनवाई के लिए लंबित है । इसके बाद जुलाई, 2014 से सितम्बर 2014 तथा उसके आगे उपभोक्ता को जो विद्युत देयक जारी किए गए वह टैरिफ अनुसूची एच.वी. – 6.1 के स्थान पर एच.वी. – 3.2 के अंतर्गत दिए गए, उक्त देयकों की वैधता को उसने अनावेदक के समक्ष चुनौती दी । अनावेदक द्वारा उसकी शिकायत का निराकरण न किए जाने पर उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, परन्तु फोरम द्वारा उसकी शिकायत का निराकरण इस आधार पर नहीं किया गया कि उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 20.06.14 को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत जो कार्यवाही की गई है वह लंबित है, अतः उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का उसे अधिकार नहीं हैं ।

2. फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण न करने के कारण उपभोक्ता ने दोनों आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया । दोनों शिकायतों के तथ्य एक समान हैं, अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत ऐसे दोनों अभ्यावेदनों पर एक साथ विचार किया जा रहा है ।

3. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदनों के संबंध में अनावेदक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किए जाने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति की कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत का निराकरण करने का अधिकार विद्युत लोकपाल को नहीं है । अभ्यावेदन को सुनवाई के लिए ग्रहण करने के पूर्व दिनांक 08.12.2014 को अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किया गया तथा इस आशय का निष्कर्ष दिया गया कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किए जाने के कारण उपभोक्ता के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत जो कार्यवाही की गई है उसकी वैधता को चुनौती उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष नहीं दी गई है अपितु उक्त कार्यवाही के बाद उपभोक्ता को जो देयक जारी किए जा रहे हैं उनकी वैधता को उपभोक्ता द्वारा चुनौती दी जा रही है, अतः उपभोक्ता की ऐसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार फोरम को है तथा फोरम द्वारा उपभोक्ता की उक्त शिकायत का निराकरण न किए जाने के कारण उपभोक्ता को विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार हैं ।

4. आवेदक/उपभोक्ता की शिकायत का मुख्य आधार यह है कि दिनांक 20.06.2014 को उसके परिसर का निरीक्षण किए जाने के बाद जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए उसे जो

देयक जारी किए गए हैं वह टैरिफ एच.वी. – 6.1 के स्थान पर एच.वी. – 3.2 के हिसाब से भेजे गए हैं और फिक्स चार्ज की राशि प्रति किलोवॉट 230 रू0 के स्थान पर 310 रू0 और एनर्जी चार्ज की राशि प्रति यूनिट 4.40 रू0 के स्थान पर 5.25 रू0 के मान से संगणित की गई है जो कि विधिसंगत नहीं है और अनावेदक द्वारा टैरिफ में परिवर्तन करते हुए जो देयक जारी किए गए हैं उन देयकों में वर्णित राशि अनावेदक उपभोक्ता से वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

5. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के अभ्यावेदन का विस्तार से जवाब दिया गया है । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का मूल आधार यह है कि दिनांक 20.06.14 को निरीक्षण किए जाने पर उपभोक्ता उक्त दोनों विद्युत कनेक्शनों में विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग करता हुआ पाया गया था अर्थात् उसका गैर घरेलू उपयोग निर्धारित सीमा से अधिक था इसी कारण जुलाई 2014 से उसे परिवर्तित टैरिफ के आधार पर देयक जारी किए जा रहे हैं जिसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –** ''क्या दिनांक 20.06.14 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण किए जाने के बाद अन्य तात्विक कार्यवाही किए बिना अनावेदक उपभोक्ता से टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन करते हुए विद्युत ऊर्जा के देयक जारी कर सकता है ? । यदि हां तो क्या ऐसे देयकों में वर्णित राशि अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है ? ।

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–</u>

7. आवेदक/उपभोक्ता भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक संस्थान है, उक्त संस्थान में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय प्रयोजन हेतु उक्त दोनों विवादित कनेक्शन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से लिये गये थे । दिनांक 20.06.2014 को उक्त दोनों विद्युत कनेक्शनों का निरीक्षण अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा किए जाने पर यह पाया गया था कि उपभोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के विपरीत अप्राधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, अतः भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित की गई थी । ऐसी कार्यवाही के औचित्य को उपभोक्ता द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 127 के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रथक फोरम में चुनौती दी गई है । इन तथ्यों तक मामलें में कोई विवाद नहीं है।

8. प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के विपरीत विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनी को उपभोक्ता के संबंध में अथवा ऐसे विद्युत कनेक्शन के संबंध में कार्यवाही करने का क्या अधिकार विधि द्वारा प्राधिकृत है ।

9. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत का अनाधिकृत उपयोग किये जाने पर निर्धारण करने वाला अधिकारी विद्युत चार्जेज का अन्तरकालीन निर्धारण करेगा और

ऐसा निर्धारण विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की पूरी अवधि के लिए और यदि ऐसी अवधि का पता लगाया जाना संभव न हो तो निरीक्षण दिनांक से पिछले 12 मास की अवधि के लिए कर सकेगा । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि निरीक्षण की दिनांक से पिछले 12 मास की अवधि के चार्जेज का अन्तरकालीन निर्धारण किए जाने का प्रावधान तो किया गया है, परन्तु निरीक्षण करने पर विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किया जाना पाए जाने पर ऐसे विद्युत कनेक्शन के संबंध में निरीक्षण दिनांक से आगे क्या कार्यवाही की जाएगी, इसका उल्लेख धारा 126 में नहीं है ।

10. म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अध्याय 9 में विद्युत चार्जेज के भुगतान और ऐसे चार्जेज का भुगतान न किए जाने पर संयोजन के विच्छेदन का प्रावधान किया गया है । संहिता के उक्त प्रावधानों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत चार्जेज (देयक) का भुगतान किए जाने में चूक की जाती है तो ऐसे उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को अस्थाई रूप से तथा पश्चातवर्ती प्राक्कलन में स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा सकता है, परन्तु संहिता के इस भाग में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि उपभोक्ता संविदा की शर्तों के विपरीत विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग करता हुआ पाया जाए तो उसे दिए गए संयोजन के संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ।

11. भारतीय विद्युत अधिनियम तथा म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किया जाना पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा का अन्तरकालीन निर्धारण किया जा सकता है और ऐसा करने में लागू होने वाली योग्य टैरिफ के दुगुना के बराबर रेट इस धारा के अधीन निर्धारित किया जाएगा अर्थात् यदि 20.06.14 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर उसे विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किया जाना पाया गया था और उपभोक्ता ऐसा अप्राधिकृत उपयोग चालू रखता था तो पुनः धारा 126 के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विद्युत वितरण कम्पनी को था, परन्तु धारा 126 के अंतर्गत कार्यवाही किए बिना विद्युत वितरण कम्पनी को उपभोक्ता को संविदा में वर्णित टैरिफ से भिन्न टैरिफ की दर से देयक जारी करने का अधिकार नहीं था ।

12. म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 7.25 के प्रावधानों के अनुसार यदि टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन किया जाना है तो दोनों पक्षों की सहमति से ही ऐसा किया जा सकेगा और ऐसे संशोधन को अनुबंध में समाहित करने के लिए पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा ।

13. संहिता की कण्डिका 7.26 के अनुसार यदि उपभोक्ता स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाईं गई विस्तृत प्रक्रियां के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूल की जाएगी ।

14. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 7.25 लगायत 7.26 के प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक विद्युत खपत करता हुआ पाया जाए तो उससे टैरिफ आदेश में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के पूर्व उभयपक्ष के मध्य पूरक अनुबंध किया जाना आवश्यक है ।

15. उक्त दोनों मामलों में उभयपक्ष के मध्य जो संविदा हुई थी उसके प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता पर टैरिफ अनुसूची – एच.वी. – 6.1 के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ की वसूली किया जाना था । टैरिफ श्रेणी एच.वी. – 6.1 के प्रावधानों के अनुसार थोक आवासीय प्रयोक्ता गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत भार का ही उपयोग कर सकेगा। टैरिफ अनुसूची एच.वी. – 6 में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि उपभोक्ता 20 प्रतिशत से अधिक भार का उपयोग गैर–घरेलू प्रयोजन के लिए करता हुआ पाया जाए तो उस पर कौन–सा टैरिफ लागू होगा ।

16. विद्युत के उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण के लिए उत्तरदाई कम्पनी के मध्य विद्युत के लेन–देन के संबंध में संविदा संपादित की जाती है । उक्त संविदा का प्रारूप जो म0प्र0 राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 2013 में प्रकाशित किया गया है, की कण्डिका 31 तथा तथा 36 का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :–

> **31. In the event of the Consumer failing to comply with the terms of this Agreement or any of them then in addition to the powers conferred on the ……….. Discom by the Acts, Rules and Regulations referred to in clause 36 hereof, it shall be lawful for the ……… Discom after giving due notice in writing to the Consumer to discontinue the supply of** energy to the Consumer or even disconnect supply forthwith where permitted under law, rules & regulation. The ……… Discom shall however on the cessation of the act which entitled it to discontinue the supply and on payment by the Consumer the amount of chares for the electrical energy already supplied and all other moneys then payable under this Agreement together with the expenses incurred by the …….. Discom in cutting off and reconnecting the supply restore the supply with all reasonable speed. Further it is hereby expressly agreed and declared that such discontinuance of supply shall not absolve the Consumer of his liability to pay the minimum charges or the minimum guarantee whichever is greater payable under the terms of this Agreement for the unexpired period of the Agreement inclusive of the period during which supply remained disconnected as above.

36. **(a) The Consumer shall conform to conditions of supply specified by the MPERC from time to time in its Regulations/Codes** and also the provisions of the Electricity Act, 2003, and any modification or re-enactment thereof, for the time being in force **<u>or that may be enforced from time to time</u>** and to the Rules and Regulations framed there under for time being in force **<u>or that may be enforced from time to time</u>** in so far as the same respectively may be applicable. **A copy of the Regulations on "Electricity Supply Code, 2013" has been supplied by the ……. Discom to the Consumer and the Consumer hereby acknowledges the receipt thereof.**

17. उभयपक्ष के मध्य विद्युत के लेन–देन के संबंध में जो संविदा होती है उसकी कण्डिका 31 और 36 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के विपरीत विद्युत का उपयोग किया जाना पाया जाए तो ऐसी स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता को इस बाबत् लिखित में सूचित करेगा । उपभोक्ता द्वारा यदि ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद संविदा की शर्तों के अनुरूप विद्युत का उपयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं करता है अथवा पूरक अनुबंध नहीं करता है उस स्थिति में उसके विद्युत संयोजन को भंग किया जा सकता है ।

18. इस मामलें में दिनांक 20.06.14 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि उसने थोक आवासीय प्रयोजन के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण कम्पनी से संविदा की है और इस प्रयोजन हेतु की गई संविदा के अनुसार वह कुल संयोजन भार का 20 प्रतिशत ही गैर घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है, परन्तु उसके द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग गैर घरेलू प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, अतः उसके विरूद्ध धारा 126 के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी । ऐसी कार्यवाही किए जाने के पश्चात् अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का यह दायित्व था कि वह उपभोक्ता को सूचित करता कि उपभोक्ता संविदा की शर्तों के अनुसार कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत भार गैर घरेलू प्रयोजन हेतु सीमित करें और यदि ऐसा किया जाना संभव न हो तो उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन हेतु पूरक अनुबंध निष्पादित करें । ऐसा पूरक अनुबंध निष्पादित होने के बाद ही विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से परिवर्तित टैरिफ श्रेणी के अनुसार विद्युत शुल्क की वसूली कर सकती थी । यदि उपभोक्ता कुल संयोजित भार की निर्धारित सीमा को सीमित नहीं करता तथा पूरक अनुबंध नहीं करता तो संविदा की शर्तों के अनुसार उसके संयोजन के पहले अस्थाई रूप से तथा बाद में स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा सकता था ।

: निष्कर्ष :

19. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि दिनांक 20.06.14 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण किए जाने पर उसे संविदा की शर्तों के विपरीत विद्युत ऊर्जा का उपयोग अप्राधिकृत रूप से किया जाना पाए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी, परन्तु ऐसी कार्यवाही किए जाने के कारण उपभोक्ता को संविदा की शर्तों के अनुसार गैर घरेलू भार को निर्धारित सीमा तक सीमित किए जाने का अवसर दिए बिना तथा उपभोक्ता से पूरक अनुबंध किए बिना टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन करते हुए विद्युत ऊर्जा के प्रश्नगत देयक जारी किए गए थे, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत जारी किया जाना पाए जाते हैं । ऐसे देयकों में वर्णित राशि को वसूल पाने का अधिकारी अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को नहीं पाया जाता है, क्योंकि अनावेदक द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रक्रियां का पालन नहीं किया गया है, परन्तु विधिक प्रक्रियां का पालन करने के पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा के चार्जेज की वसूली कर सकती है ।

20. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत दोनों अभ्यावेदन स्वीकार किए जाते हैं । फोरम के आदेश अपास्त किए जाते हैं । आदेश की प्रति फोरम को तथा उभयपक्ष को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल